

**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
कार्गो निदेशालय**

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 4(1) (बी) के अंतर्गत सूचना विवरण

क्रम सं.	सूचना अधिकार - 2005 के अंतर्गत सूचना	विवरण
(i)	संगठन का विवरण कार्यविधि और ड्यूटी ।	संगठन का विवरण और उनकी सामान्य कार्यविधि संबंधी सूचना भा.वि.प्रा. वेबसाइट <a href="http://www.aai.aero">www.aai.aero</a> उपलब्ध है ।
(ii)	उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कार्य ।	कार्गो विभाग द्वारा भा.वि.प्रा. द्वारा जारी वित्तीय शक्तियों का पालन किया जा रहा है ।
(iii)	सरणियों के पर्यवेक्षण और जवाबदेही सहित निर्णय लेने के लिए अपनाई गई कार्यविधि ।	कार्गो निदेशालय द्वारा पालन की गई कार्यविधि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विनियम 2003 के आधार पर है । (कार्गो के भंडारण और प्रसंस्करण कॉरियर और एक्स्प्रेस वस्तुएं और डाक मेलक्रा अभिरक्षक कार्यविधियाँ सीमा शुल्क अधिनियम 1962 / सीसीएचपी तथा भा.वि.प्रा.ईआरए, ना.वि.मं. तथा अन्य संबंधित अभिकरणों पर आधारित है ।
(iv)	कार्यनिष्पादन हेतु उनके द्वारा तैयार किए गए प्रतिमानक ।	यथोपरि ।
(v)	उनके द्वारा या उनके नियंत्रणाधीन इस संबंध में जारी नियम, विनियम, विनिर्देश, नियमावली और अभिलेख जो इनके कर्मचारियों द्वारा कार्यनिष्पादन हेतु उपयोग किया जा रहा है ।	यथोपरि ।
(vi)	उनके द्वारा या उनके अधीनस्थ द्वारा दस्तावेजों को वर्गीकृत करने के लिए तैयार किए गए विवरण ।	यथोपरि ।
(vii)	उपलब्ध किसी भी व्यवस्थाओं का विवरण जिससे आम जनता से परामर्श करके या जिसके प्रतिवेदन पर नीतियों का निर्माण और बाद में अनुपालन किया जा सके ।	कार्गो विभाग से संबंधित सभी मुख्य नीतिपरक विषयों पर उनके निर्माण और बाद में अनुपालन के लिए व्यापार बेडियों तथा अन्य संबंधित अभिकरणों से चर्चा / बातचीत करके तैयार किए जाते हैं ।
(viii)	बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य बोडियों के दो या अधिक व्यक्तियों से उसके भाग के रूप में गठित या उनके सलाह से गठित और इस बोर्डों, परिषद, समितियाँ या अन्य बोडियाँ जो आम जनता के लिए	मासिक सीएएफएसी बैठक का आयोजन संबंधित विमानपत्तन निदेशक की अध्यक्षता में और कार्गो विभागाध्यक्ष की उपस्थिति में आयोजित की जाती है । बैठक में एयरलाइन्स, व्यापार बोडियों, सीमा शुल्क और संबंधित सुविधा प्रदान करनेवाले /

	प्राप्त है या उनकी बैठकों का कार्यवृत्त आम जनता के लिए उपलब्ध हो ।	विनियामक अभिकरण द्वारा भाग लिया जाता है । बैठक का कार्यवृत्त सभी संबंधितों के लिए परिचालित किया जाता है और अगली बैठक में उसकी समीक्षा की जाती है ।
(ix)	उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ।	ब्योरे का अनुरक्षण मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
(x)	उनके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए गए मासिक पारिश्रामिक विनिमय में उपलब्ध प्रतिपूर्ति प्रणाली ।	ब्योरे का अनुरक्षण वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
(xi)	प्रत्येक अभिकरण के लिए आबंटित बजट, योजनाओं से संबंधित सूचना, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण संबंधी रिपोर्ट।	बजट आबंटन और संवितरण का विवरण वित्त विभाग में उपलब्ध है ।
(xii)	राशियों का आबंटन और उक्त कार्यक्रम के हितभागी के विवरण सहित सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की विधि ।	कार्गो विभाग के लिए लागू नहीं ।
(xiii)	उनके द्वारा छूट, परमिट या प्राधिकार प्राप्त करनेवालों का विवरण ।	कार्गो विभाग के लिए लागू नहीं ।
(xiv)	इलैक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्ध सूचना या लंबित सूचना या निकाल दी गई सूचना ।	निर्यातक, आयातक एयरलाइन्स और सीमा शुल्क के बची का व्यापार आईसीएमएस के माध्यम से है और सभी संव्यवहार का विवरण इलैक्ट्रॉनिक फार्म में उपलब्ध है ।
(xv)	यदि आम जनता के उपयोग हेतु कारोबार समय या पुस्तकालय या वाचनालय उपलब्ध है तो नागरिक के उपयोग हेतु उपलब्ध की गई सुविधाओं की सूचना ।	भा.वि.प्रा. वेबसाइट में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित सूचना के अलावा आवश्यक है तो सूचना अधिकार आवेदक को पूर्व सूचना लेते हुए दस्तावेजों के निरीक्षण करने के लिए सूचना दी जाती है ।
(xvi)	लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विवरण ।	भा.वि.प्रा. वेबसाइट में उपलब्ध है ।
(xvii)	निर्धारित अन्य सूचना जो बाद में प्रत्येक साल अद्यतन करके प्रकाशित किया जाए ।	